बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन
(लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार)
कार्यालय आदेश

आदेश संख्या–बि०ज०स्व०मि० / पी०एल०–102 / 17–57 पटना, दिनांक– 5/3/18

वर्ष 2017–18 में भारत सरकार एवं विश्व बैंक प्रदत्त तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग से क्रियान्वित की जा रही ग्रामीण पेयजलापूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम हेतु पी०एल० खाता के सामान्य मद में कुल जमा राशि में से रू० 831.00 लाख (आठ करोड़ इक्तीस लाख रूपये) मात्र बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के प्रोग्राम फंड के बैंक खाते में निम्न तालिका के अनुसार हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

(राशि लाख रू० में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	01.04.17 को पी०एल० खाता में उपलब्ध राशि	वर्ष 2017–18 में पी०एल० खाता में जमा की गयी राशि	पी०एल० खाता में कुल जमा राशि (स्तंभ 3+4)	बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के प्रोग्राम फंड में प्रथम किस्त तक हस्तांतरित राशि	पी०एल० खाता में जमा राशि से बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के प्रोग्राम फंड में प्रथम किस्त तक हस्तांतरित राशि के बाद उपलब्ध राशि	पी०एल० खाता में उपलब्ध राशि से बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के प्रोग्राम फंड में हस्तांतरित करने हेतु प्रस्तावित राशि (चतुर्थ किस्त स्तंभ 7 का 20 प्रतिशत)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	विश्व बैंक एवं भारत सरकार की सहायता से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत बहुग्रामीय पाईप जलापूर्ति योजना / ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना का निर्माण तथा परिचालन एवं रख–रखाव	1563.00	5000.00	6563.00	2406.00	4157.00	831.00	

(आठ करोड़ एक्तीस लाख रूपये मात्र)

2. इस आवंटित राशि को स्वीकृत योजना के प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश के अनुज्ञेय सीमा के अधीन वित्त विभाग के पत्रांक–एम०–4–53 / 2190, दिनांक–17.03.08 में दिये गये निदेश के आलोक में ही व्यय की जाएगी।

3. वित्त विभाग के पत्र संख्या–5537 दिनांक–24.06.2015 एवं पत्रांक–एम–4–07/2017–7691/वि० दिनांक–22.09.17 में निहित प्रावधानों के तहत् विशेष पदाधिकारी–सह–निदेशक, पी०एम०यू०, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना के माध्यम से चेक द्वारा बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी०एल० खाता संख्या–267, विपत्र कोड–L8448001200041 से निकासी की जायेगी। राशि की निकासी कर बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के प्रोग्राम फंड के बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी एवं तदोपरांत कार्य की आवश्यकतानुसार बैंक ड्राफ्ट/RTGS के माध्यम से निदेशक, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जायेगी।

4. इस पर विभागीय सचिव–सह–अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

Smishra 23.2.18

(सतीश चंद्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख–सह–सदस्य सचिव

ज्ञापांक–बि०ज०स्व०मि०/पी०एल०–102/17– 57 पटना, दिनांक– 5/3/18

प्रतिलिपि–महालेखाकार, वीरचंद पटेल पथ, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/ सचिव के आप्त सचिव/ अभियंता प्रमुख–सह–सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/ मुख्य अभियंता (नागरिक)/ मुख्य अभियंता (रूपांकण)/ परियोजना निदेशक SPMU/अधीक्षण अभियंता (मो०) को दो प्रतियों सहित/ उप निदेशक (मू०)/ कार्यपालक अभियंता (मो०–1)/ कार्यपालक अभियंता (मो०–2)/ निदेशक, पी०एम०यू०/ निदेशक, सी०सी०डी०यू०/ सहायक अभियंता (मो०)/ प्रभारी, डाटा सेन्टर (वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु)/ आई०टी० मैनेजर/ प्रशाखा पदाधिकारी–4 एवं 6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु/ रोकड़पाल, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Smishra 23.2.18

(सतीश चंद्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख–सह–सदस्य सचिव